पप्पु उर्फ कल्लु बनाम ईस्माईल
GCMS No- 2022/445
प्रकरण संख्या 177/2022

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 177/2022 वाद पत्र
जीसीएमएस नम्बर 2022/445

1. पप्पु उर्फ कल्लू पुत्र मच्छु खां जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादी

बनाम

1. ईस्माईल पुत्र मच्छु खॉ जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मुन्नी पुत्री मच्छु खां जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. फारुख खान पुत्र मच्छु खां जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. मुन्ना खां पुत्र मच्छु खा जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. अमजद खान पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. फिरोज खां पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. शब्बों पुत्री गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
श्री योगेन्द्र सौलंकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,3

::निर्णय:: दिनांक 04.04.2024

1. संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा साकरिया पह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 23 की आराजी नं0 475 रकबा 0.1800 हैक्टेयर लगानी 90 पैसा, आराजी नं0 476 रकबा 0.6800 हेक्टेयर लगानी 12 रुपये 92 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे का[illegible]ता संख्या 23 वादी का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 से 4 का [illegible]/6–1/6 व प्रतिवादी नं0 5 से 7 का संयुक्त 1/6 हक [illegible] अनुसार वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2. वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी तौर से हिस्से अलग अलग कर रखे है तथा पूर्व पश्चिम पालिया डाल रखी है, तथा वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिण दिशा का 1/6 वादी के हिस्से मे है तथा वादी के उत्तरी दिशा मे प्रतिवादी न० 1 ईस्माईल खां, प्रतिवादी न0 1 के उत्तर मे प्रतिवादी न0 2 मुन्नी, व प्रतिवादी न0 2 मुन्नी के उत्तर दिशा मे प्रतिवादी न0 3 फारुख का व तथा प्रतिवादी न0 3 के उत्तरी दिशा मे प्रतिवादी न0 4 से 8 का कब्जा चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार, मौके पर काबिज अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है, तथा बटवाडा कराने से इकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स किया जाकर वादग्रस्त आराजी मे वादी का मौके पर काबिज अनुसार एव राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार वादग्रस्त खाता संख्या 23 वादी का 1/6 हक हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 से 3 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हक हिस्सा अलग अलग कराने का अधिकारी हैं, तथा प्रतिवादी न0 4 से 7 का वदस्तुर शामील रखाने का अधिकारी हैं। वाद कारण दिनाक 05/09/2022 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स बटवाडा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं और वादग्रस्त भूमि का बटवाडा कराने से इंकार हो गये हैं व समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश है। वादग्ररस्त आराजीयात मौजा साकरिया पह० रानीखेडा तह० निम्बाहेडा मे स्थित है इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

3. वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने ईकबाली जवाब पेश प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1व 3 का मौके पर काबिज अनुसार व राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 3 का हिस्सा अलग करते हुए वादी का दावा वाद अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।उभयपक्षो की बहस पर मनन करने व आपसी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी आपसी सहमति अनुसार दिनांक 25.04.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर 1000/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा साकरिया पह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 23 की आराजी न0 475 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नं0 476 रकबा 0.6800 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी का दर्ज 1/6 हक हिस्सा व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक का 1/6 व प्रतिवादी का 5 से 7 का संयुक्त 1/6 हक हिस्सा बंटवारा कर अलग किया जावे तथा तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्णतः पा[illegible] सुनिश्चित करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/1[illegible] दि[illegible] 13.12.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

5. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा साकरिया पह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेडा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1. पप्पु उर्फ कल्लू पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेडा, ईस्माईल पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेडा, तसलीम अहमद पिता एजाज अहमद 1/3 जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेडा खातेदार रहन बदस्तुर।

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
475 दक्षिणी भाग	0.07	0.35
476 दक्षिणी भाग	0.36	6.84
किता–2	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	7.19 रूपये

2. मुन्नाखां पुत्र मच्छुखां 1/3, गुलाम रसुल पुत्र मच्छुखां 1/3, फारूखखान पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेडा खातेदार

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
475 उत्तरी भाग	0.11	0.55
476 उत्तरी भाग	0.32	6.08
किता–2	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	6.63 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारीः– रमेश सीरवी पुनाडियॉ, (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 177/2022 वाद पत्र
जीसीएमएस नम्बर 2022/445

1. पप्पु उर्फ कल्लू पुत्र मच्छु खां जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० मो0नं0 9950845062

–वादी

बनाम

1. ईस्माईल पुत्र मच्छु खॉ जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मुन्नी पुत्री मच्छु खा जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. फारुख खान पुत्र मच्छु खां जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. मुन्ना खा पुत्र मच्छु खा जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. अमजद खान पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. फिरोज खां पुत्र गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. शब्बो पुत्री गुलाम रसुल जाति मुसलमान निवासी रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वाके मौजा साकरिया पह० रानीखेडा तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 23 की आराजी नं0 475 रकबा 0.1800 हैक्टेयर लगानी 90 पैसा, आराजी न0 476 रकबा 0.6800 हेक्टेयर लगानी 12 रुपये 92 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600 हेक्टेयर कुल लगानी 13 रुपये 82 पैसा स्थित है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व [illegible] मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी का दर्ज 1/6 हक हिस्सा [illegible] क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक का 1/6 व प्रतिवादी का [illegible] हिस्सा बंटवारा कर अलग किया जावे तथा तहसी[illegible] डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति [illegible]यार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]55 के नियम 18 से 21 की पूर्णतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पालना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/1852 दिनां 13.12.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जो स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा साकरिया पह० रानीखेड़ा तह० निम्बाहेड़ा का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1. पप्पु उर्फ कल्लू पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेड़ा, ईस्माईल पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेड़ा, तसलीम अहमद पिता एजाज अहमद 1/3 जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा खातेदार रहन बदस्तुर।

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
475 दक्षिणी भाग	0.07	0.35
476 दक्षिणी भाग	0.36	6.84
किता–2	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	7.19 रूपये

2. मुन्नाखां पुत्र मच्छुखां 1/3, गुलाम रसुल पुत्र मच्छुखां 1/3, फारूखखान पुत्र मच्छुखां 1/3 निवासी रानीखेड़ा खातेदार

आ0नं.	रकबा(है0)	लगान
475 उत्तरी भाग	0.11	0.55
476 उत्तरी भाग	0.32	6.08
किता–2	कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर	6.63 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 04.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner